मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

क्या श्रीलंका वैश्वीकरण मंत्र की कब्र बनेगा ? 2
शहर का कूड़ा उठाने में भी घोटाला 4
हिन्दू-मुस्लिम समस्या का मर्म 5
जुबैर को जेल में ही रखना चाहती है सरकार! 6
महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी भुला कर कांवड़ यात्रा में जुटी जनता 8

वर्ष 36 | अंक 36 | फरीदाबाद | 17-23 जुलाई 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

नगर निगम में बिना काम 200 करोड़ डकारने का कोई यही एक घोटाला नहीं, अनेकों भरे पड़े हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले कुछ माह से नगर निगम में हुए 200 करोड़ के एक घोटाले की चर्चा काफ़ी जोरों से चल रही है। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपये ऐसे कामों पर खर्च कर दिये गये हैं जो धरती पर हुए ही नहीं। यानी कि काम को केवल फाइलों में हुआ दिखा कर बिल पास कर दिये गये और बाद में दफ्तर में लगी आग में सब फाइलें जल गईं।

आपराधिक कहानीकार की दृष्टि से कहानी तो परफेक्ट क्राइम की बनाई गई थी। लेकिन कुछ पार्षदों ने कहीं-कहीं से उन फ़र्जी कामों के कुछ सबूत जुटा कर मामले को उछाल दिया। माल हड़पने वालों ने मामले को दबाने का प्रयास तो भरसक किया लेकिन मामला इतना भारी था कि वह कहीं न कहीं से तो बाहर झांकने लगता था। होते-होते मामला इतना बाहर निकल आया कि खट्टर सरकार को मजबूरन आपराधिक मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच विजिलेंस को देनी पड़ी।

अब विजिलेंस कोई ऐसी पुलिस तो है नहीं जो खट्टर के इशारों को न समझ पाती हो। जाहिर है कि विजिलेंस के हाथ भी उसी के गले तक पहुंच पायेंगे जिसकी अनुमति खट्टर जी देंगे। अभी तक मिली अनुमति के अनुसार विजिलेंस के हाथ केवल एक ठेकेदार सतवीर, दो चीफ़ इंजीनियरों दौलतराम भास्कर, रमण शर्मा व एक जेई दीपक को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मजे की बात तो यह है कि उक्त दोनों चीफ़ इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी, वहां पढ़कर डिग्री लेने की बात तो छोड़ ही दीजिये। ऐसे अनपढ़ व जाहिल चीफ़ इंजीनियरों को मैट्रो रेल वाले अथवा लार्सन एन्ड टूब्रो जैसे संस्थान अपने यहां जेई तो क्या बेलदार तक न लगाएं। जबकि नगर निगम में तो दीपक बेलदार होते हुए जेई का धंधा कर रहा था।

मंत्रीगण के साथ जश्न मनाते आरोपी चीफ इंजीनियर भास्कर एवं ठेकेदार सतबीर

उक्त घोटाला कोई एक दिन में अथवा किसी एक निगमायुक्त के कार्यकाल में तो हो नहीं गया था। यह कई वर्षों में हुआ है। इतनी बड़ी रकम दीपक जैसा जेई, सतवीर जैसा ठेकेदार तो अपने बूते हड़प नहीं सकता। इसके लिये ऊपर तक लगी इंजीनियरों की लाइन का शामिल होना जरूरी है। निगमायुक्त की मर्जी एवं साझेदारी के बिना ये तमाम इंजीनियर भी कुछ कर पाने की हैसियत नहीं रखते।

जाहिर है इस तरह के घोटालों में निगमायुक्त का शामिल होना निहायत जरूरी है। इतने भले तो यहां के विधायक, सांसद व मंत्री भी नहीं हैं कि जो चुपचाप औरों को मोटा माल डकारते हुए देखते रह जायें। इनकी मर्जी के बिना निगमायुक्त एक दिन भी अपनी कुर्सी पर नहीं रह सकता। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि सबने मिल बांट कर जनता का धन डकारा है। अब देखना यह है कि खट्टर का हाथ कितनी गर्दनों को नापने की हैसियत रखता है?

मनोहर सरकार ने 'स्मार्ट सिटी' पर फ़िर थोपा एक अनपढ़ वरिष्ठ टाउन प्लानर

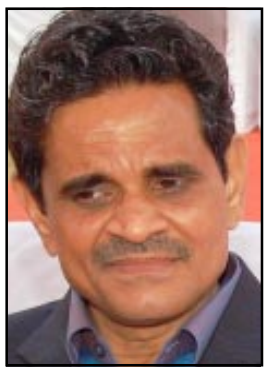

फ़रीदाबाद (म.मो.) लगता है मनोहर सरकार को पढ़े-लिखे आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरों से नफरत है। इसलिये स्थानीय नगर निगम में अनपढ़ लोगों को भर रखा है। इसी श्रंखला में बीते शुक्रवार आठ जुलाई को यानी दो साल पहले सेवा निवृत हुए ड्राफ्ट्समैन महिपाल को तीसरी बार सेवा विस्तार देकर शहर का वरिष्ठ योजनाकार नियुक्त कर दिया है।

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार खट्टर ने यह नियुक्ति निगमायुक्त यशपाल यादव के पुरजोर विरोध के बावजूद की है। माना जा रहा है कि यह नियुक्ति खट्टर के सलाहकार अजय गौड़ द्वारा कराई गई है। समझने वाली बात यह है कि इस तरह की अनुचित एवं अवांछित नियुक्ति कराने के पीछे इस तथाकथित सलाहकार की क्या रुचि हो सकती है? यह रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि महिपाल सेवानिवृत होने के बावजूद भी इस पद से क्यों चिपका हुआ है? सभी जानते हैं कि यह पद मोटी लूट कमाई का स्रोत है। जाहिर है कि लूट कमाई का यह स्रोत मुफ्त में उसे अजय गौड़ दिलाने वाला है नहीं, इसकी वाजिब कीमत तो वह वसूलेगा ही। वैसे भी सर्व विदित है कि बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अजय गौड़ जैसे चले हुए कारतूसों से किसी प्रकार की सलाह की कोई दरकार नहीं होती। ऐसे लोग खट्टर के नाम पर अपनी दुकानदारी तो चलाते ही हैं लेकिन, स्मार्ट सिटी की आपदा झेलते नागरिक जानना चाहेंगे, क्या वे खट्टर के लिये भी आवश्यक उगाही करके उन तक पहुंचाते रहते हैं?

देश की लंका लगने वाली है

गिरीश मालवीय

लगातार बढ़ती मंहगाई श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देगी.....18 जुलाई से अनब्रांडेड प्री- पैकेज्ड व प्री लेबल आटा, मैदा और सूजी, दाल, दही, गुड समेत अनेक खाद्य उत्पादों पर 5 फीसदी जीएसटी लगने जा रहा है।

23 मार्च 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा था कि जिन खाने-पीने की वस्तुओं पर अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता है, उन्हें जीएसटी से अलग रखा जाएगा। लेकिन अब 2022 मे इस निर्णय को पूरी तरह से पलट दिया गया है.....

सरकारें जब भी कोई कर या कर सुधारों से जुड़ी व्यवस्थाएं लेकर आती हैं, तो उसे 'ग्लासनोस्त' और 'पेरेस्त्रोइका' के रूप में ही पेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ सालों बाद नजर आती है जैसा आज हमे जीएसटी के मामले में देखने को मिल रहा है।

अनब्रांडेड प्री- पैकेज्ड व प्री लेबल खाद्यान पदार्थों पर जीएसटी लगाने के इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा इसे समझने का प्रयास करते हैं।

दरअसल मल्टीनेशनल कंपनी अपना उत्पाद ऊंचे दाम पर रजिस्ट्रड ब्रांड से बेचती है। जबकि छोटे छोटे एमएसएमई या छोटी-छोटी आटा चक्की, अपना उत्पादन कम दाम व कम लाभ पर बेचती है। बड़े उद्योगपतियों की गुलाम मोदी सरकार को शायद यही बात अखर रही है।

पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने से कुटीर उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा। वह अब बड़े ब्रांड से मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

महंगाई तो बढ़ना तय है कि क्योंकि जीएसटी लगने से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली खाद्य वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कई एमएसएमई 5 प्रतिशत जीएसटी की वजह से बंद हो जाएंगे, जीएसटी की ऊंची टैक्स दरों के बाद बन्द होने का फायदा बड़ी कंपनियों को मिलगा और यही मोदी सरकार चाहती हैं।

साफ़ दिख रहा है कि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ने जा रही है।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) और अन्य खाद्यान्न संगठनों का मानना है कि देश के सभी बड़े ब्रांड की कंपनियां देश की आबादी का 15 प्रतिशत उच्चतम वर्ग, उच्च वर्ग एवं उच्च मध्य वर्ग के लोगों की ही जरूरतों की पूर्ति करती हैं, जबकि सभी राज्यों में छोटे निर्माता जिनका अपना लोकल लेबल का नेटवर्क होता है वे देश की 85 प्रतिशत आबादी की मांग को पूरा करते हैं। ऐसे में इन वस्तुओं के जीएसटी कर दायरे में आने से छोटे निर्माताओं व व्यापारियों पर टैक्स अनुपालन का बोझ बढ़ेगा। साथ ही दैनिक जरूरतों के सामान भी महंगे हो जाएंगे।

कैट का कहना है कि यह भी खेद की बात है कि देश में किसी भी व्यापारी संगठन से इस बारे में कोई परामर्श नहीं किया गया है।

सरकार के द्वारा इस प्री- पैकेज्ड व प्री लेबल शब्द के इस्तेमाल से लग रहा है कि किसान भी इस निर्णय से प्रभावित हो सकता है क्योंकि किसान भी अपनी फसल बोरे में पैक करके लाता है। तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा?

हिंसक बनने और हिंसक दिखने की पूरी एक योजना

सत्येंद्र पीएस

एकाध भगवान बचे हुए थे जिनका हिंसक चेहरा भारतीय समाज में नहीं था। भगवान राम और हनुमान को भैंसे की बलि नहीं चढ़ती, बकरे का खून भी नहीं चढ़ाया जाता, शराब नहीं चढ़ाया जाता, मुर्गा, बत्तख नहीं चढ़ाया जाता, भांग धतूरा भी नहीं चढ़ता। लड्डू और फल फूल में खुश हो जाते हैं। शायद इसीलिए भगवान राम सबके दिलों में बसते थे, भले ही उनका कोई विशाल मंदिर नहीं था।

राम राम ताऊ, राम राम भैया, राम नाम सत्य है से बदलकर जय श्री राम हम लोगों के देखते देखते हुआ। हम लोगों के देखते देखते राम और हनुमान का चेहरा बदल दिया गया। और अब अशोक चिह्न भी! हो सकता है कि भगवान राम और हनुमान जी को भी तरकुलहा देवी की तरह बकरे का खून चढ़ाया जाने लगे, कामाख्या या पशुपतिनाथ की तरह भैंसे की बलि चढ़े, कोलकाता की काली माई की तरह बत्तख मुर्गा और बकरा चढ़ने लगे या बनारस और दिल्ली के काल भैरव की तरह स्कॉच से लेकर देसी ठर्रा चढ़ने लगे।

मन में कल से ही चल रहा था। इन्होंने भगवान राम और हनुमान को नहीं छोड़ा तो अशोक की लाट क्या है? नए भारत का स्वागत करें-

बाजीचा ए अत्फाल है दुनिया मेरे आगे
होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

क्या श्रीलंका 90 से हावी जन कल्याण के वैश्वीकरण मंत्र की कब्र बनेगा ?

रवींद्र गोयल

दो करोड़ बीस लाख की आबादी वाला भारत का पडोसी देश, श्रीलंका, वित्तीय और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारी जनता सरकारी निकम्मेपन के विरोध में सड़कों पर हैं और सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफ़े दे रहे हैं।

साल 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से श्री लंका,इस वक्त, सबसे ख़राब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। देश में महंगाई के कारण बुनियादी चीज़ों की क़ीमतें आसमान छू रही हैं। खाने पीने की सामग्री और इंधन बाजार से गायब है। महीनों तक गुस्सा उबलने के बाद आखिरकार फट पड़ा, विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और सरकार की नींव हिला दी। पिछले दिनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर उन्हें इस्तीफा देने के वादे के लिए मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति ने 13 जुलाई को पद त्याग की घोषणा की है और प्रधामंत्री ने उस समय सत्ता त्याग करने का वादा कर लिया है जब उनसे कार्यभार लेने की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो जाये।

श्रीलंका के वर्तमान संकट के जड़ें काफी गहरी हैं। यूँ तो श्रीलंका सरकार ने वैश्वीकरण के जरिये विकास के मंत्र को 1977 में ही आत्मसात कर लिया था लेकिन उस प्रगति के पथ पर ,1983 में तमिल राष्ट्रीयता के संघर्ष ने, तेज गति से चलने में बाधाएं खड़ी की। अंतत: 2009 में चरमपंथी उग्र बौद्ध उन्माद को उकसा बर्बर तमिल आन्दोलन का तानाशाही दमन करने के बाद बौद्ध धार्मिक कट्टरता की बैसाखी के सहारे एक बार फिर श्रीलंका पुन: विदेशी आधारित वैश्वीकरण के द्वारा विकास की राह पर चल पड़ा। इससे श्रीलंका की राष्ट्रीय आय तो बढ़ी (आज श्री लंका कि प्रति व्यक्ति आय 4000 डॉलर के करीब है जबकि भारत कि प्रति व्यक्ति आय केवल 2300 डॉलर है) लेकिन वैश्वीकरण के पैरोकारों के मंसूबों के अनुरूप श्री लंका ने अपनी कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जो कृषि क्षेत्र 1970/80 में राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत देता था उसका हिस्सा अब केवल 8 प्रतिशत है। नतीजतन खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ने लगा।

इस बीच श्रीलंका ने सेवा क्षेत्र में टूरिज्म आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ भारी मात्रा में विदेशी कर्ज भी लिया जिसके आधार पर उसने तथाकथित लम्बे समय में नतीजे देने वाले आधारभूत योजनाओं को लागू करना शुरू किया। इन सभी का असर हुआ की 2018 आते स्थिति काफी खराब होने लगी। 2018 में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के बाद एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी ने प्रकोप दिखाया। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने धनियों के करों में कटौती की। लेकिन सरकार के राजस्व में आई कमी से स्तिथि में सुधार होने की बजाये और विकट हो गयी। कोविड महामारी के फलस्वरूप उसके टूरिज्म के आमदनी और बहार से पैसा जो आता था वह रुक गया। विदेशी बाजार में कर्जा मिलना बंद हुआ। विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो गया। इससे निबटने के लिए 2021

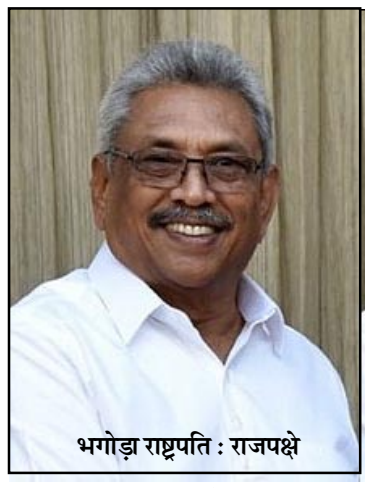

भगोड़ा राष्ट्रपति : राजपक्षे

में सभी रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने के राजपक्षे सरकार के तुगलकी फरमान ने भी देश के कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण चावल की फसल में गिरावट आई। देश में खाद्यान्न का समुचित भण्डार का न होना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्यान्न कीमतों और इंधन की कीमतों में आई तेजी ने वर्तमान संकट को जनम दिया।

इसलिए संक्षेप में कहा जाये तो राजपक्षे सरकार कुछ भी कहे वर्तमान संकट के लिए जिम्मेवार राजपक्षे सरकार है जिसने नवउदारवादी नीतियों के साथ वित्तीय कुप्रबंधन को देश को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहाँ श्रीलंका वासियों को काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। समस्या इतना विकराल रूप न लेती यदि उनकी सरकार ने समय से पहले कदम उठाये होते। उन्हें पता था कि चुनौतियाँ क्या हैं, और उन्होंने कुछ नहीं किया।

आगे क्या हो सकता है ?

देश भर से कोलंबो में वर्तमान विशाल रैली की योजना धार्मिक नेताओं, राजनीतिक दलों, चिकित्सकों, शिक्षकों, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, किसानों और मछुआरों द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग और एक सभी पार्टी की सरकार बनाने की मांग को लेकर बनाई गई थी। जनता की हुँकार सुन श्री लंकाई 'फकीर' तो झोला उठा कर फरार हो गए हैं या फरार होने की जुगत में हैं। लेकिन भविष्य में इस जारी जन उभार का तात्कालिक नतीजा क्या होगा अभी तय नहीं है। वर्तमान जन उभार मुख्य रूप से स्वत: स्फूर्त ही है। किसी वैकल्पिक राजनितिक आर्थिक समझदारी से संचालित किसी संगठन के नेतृत्व में यह आन्दोलन नहीं चल रहा। हो सकता है की सेना के गठजोड़ के साथ कोई विपक्षी पार्टी सरकार बना ले और समाज में खास परिवर्तनों को न अंजाम दिया जा सके।

लेकिन यह तय है कि कोई भी भविष्य में आने वाली सत्ता आमजन की बुनियादी जरूरतों, खास कर के खाद्य सामानों, उर्जा और एवं इंधन की जरूरतों का नकार कर के अपने और अपने प्रिय धनपतियों के लिए साम्राज्यवादियों द्वारा नियंत्रित आज की दुनिया में जगह बनाने के एक तरफा अभियान में न जुट पायेगी। WTO और शोषक वर्गों के टुकड़ों पर पलने वाले बुद्धि जीवियों द्वारा पिलाई जा रही बाजारू अर्थशास्त्र प्रेरित आयात आधारित खाद्य निर्भरता की नीति और विश्वबाजार से स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को जोड़ देने का षड़यंत्र अब ज्यादा समय तक न चल पायेगा।

समग्रता में वर्तमान जन आन्दोलन एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक होगा। एक विश्लेषक, आजमगढ़ निवासी श्री जय प्रकाश नारायण, ने सही ही कहा है कि श्रीलंका की जनता ने जो कर दिखाया है वह मनुष्यता के लिए सुबह के हवा के झोंके जैसा है। बर्बर जुल्म और महंगाई-बेरोजगारी के बोझ तले कराह रही श्रीलंकाई या और देशों की जनता कब तक धार्मिक और राष्ट्रवाद का झुनझुना बजाती रहेगी। लगता है श्रीलंका परिवर्तन के नए चौराहे पर खड़ा है। जहां से उम्मीद है कि संपूर्ण श्रीलंकाई जनता के लिए सुनहरा भविष्य दस्तक दे रहा है।

आज जरूरत है कि विश्व की समस्त लोकतांत्रिक ताकतें श्रीलंकाई जनता के साथ में खड़ा हों। ताकि श्रीलंकाई जनता अपनी इस लड़ाई में विजयी होकर अपने देश के लोकतांत्रिक भविष्य की राह पर आगे बढ़ सके और विश्व में न्याय आधारित जनवाद के लिए लड़ रहे नागरिकों के लिए प्रेरणादायी रोशनी बन सके।

निरीक्षण टीम व स्वास्थ्य मंत्री की आगमन नौटंकी से अस्पताल अधिकारी हुए 'चौकन्ने'

फ़रीदाबाद (म.मो.) बल्लबगढ़ सेक्टर तीन स्थित एफआरयू (प्रथम रेफरल यूनिट) का निरीक्षण करने वाली एनक्यूएएस (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड) की टीम के आगमन की सूचना पाकर यूनिट के अधिकारी डॉक्टर मान सिंह चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ़ को आगाह किया है कि 20-22 जुलाई तक काम से कभी भी गैरहाजिर न रहें, सफ़ाई का पूरा ध्यान रखें, दवाईयों आदि का पूरा इंतजाम रखें तथा आवश्यक स्थानों पर साइनेज आदि को ठीक से लगा कर रखें।

विदित है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत करीब 25 वर्ष पूर्व इस यूनिट की स्थापना की गई थी। इसके लिये करीब डेढ एकड़ के भूखंड पर दो मंजिला इमारत तथा डॉक्टर व स्टाफ़ आदि के लिये रिहायशी मकान भी बनाये गये थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह रखा गया था कि आस-पास की जनता के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें तथा गर्भवती मलिाओं की देख-भाल व डिलिवरी आदि की व्यवस्था करना था। लेकिन यह यूनिट दिखावे मात्र से आगे कभी बढ़ नहीं पाई। इतनी बड़ी इमारत व आवासीय भवन वर्षों तक खाली ही पड़े रहे। इसका मूल कारण यहां पर स्थायी स्टाफ़ की जगह ठेकेदारी का स्टाफ़ होना बताया जाता है।

जाहिर है कि ऐसे में न तो साधारण मरीज़ों की कभी देख-भाल हो पाई और न ही गर्भवती महिलाओं का यहां कुछ भला हो पाया। जलापूर्ति की उचित व्यवस्था न होने के चलते शौचालय की सफ़ाई की बात तो छोड़िये पीने तक का पानी यहां उपलब्ध नहीं हो पाता। साइनेज़ न होने के चलते नवागंतुक को पता ही नहीं चल पाता कि किस कमरे में क्या होना है, इसलिये वह इधर-उधर भटकता ही रह जाता है। आधे से अधिक स्टाफ़ फरलो पर ही रहता है। गत वर्ष यहां की इंचार्ज डॉक्टर शशि गांधी तो अमरपुर स्थित अपने खेतों पर काम करने के लिये भी यहीं से स्टाफ़ को भेजा करती थी। इस तरह के माहौल में दवाओं आदि की यहां से अपेक्षा करना ही बेमानी है।

इन्हीं सब बातों के मद्दे नज़र डॉक्टर मान सिंह ने अपने स्टाफ़ को समय पूर्व चेतावनी देकर सचेत किया है कि आने वाली निरीक्षण टीम के सामने बेहतर प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें।

सवाल यह पैदा होता है कि निरीक्षण टीम आने के वक्त ही अधिकारी सचेत क्यों होते हैं, सदैव अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से क्यों नहीं निभाते? ड्यूटी भी कोई क्या निभाये, जितने डॉक्टरों व स्टाफ़ की स्वीकृति यहां के लिये की गई थी उसका एक चौथाई भी यहां कभी तैनात नहीं रहा। ऐसे में निरीक्षण टीम का यहां आना भी किसी नौटंकी से कम नहीं है।

सिविल सर्जन ने भी अपने स्टाफ़ को चेताया

विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के तीन दिवसीय एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी फ़रीदाबाद पधार रहे हैं। दिनांक 15,16,17 यह तीन दिन उनके यहां रहने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. विनय गुप्ता ने अपने आधीनस्थ ज़िले भर के तमाम छोटे-बड़े केन्द्रों को बाकायदा इस बाबत पत्र लिख कर सूचित किया है। पत्र में सभी केन्द्रों के इंचार्जों को आगाह किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री कभी भी किसी भी केन्द्र पर छापामारी कर सकते हैं। इसलिये सभी कर्मचारी सावधान रहें, अपनी सीट न छोड़ें और सफ़ाई आदि का विशेष ध्यान रखें।

सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया उक्त सर्कुलर यह समझने के लिये पर्याप्त है कि ज़िले के तमाम स्वास्थ्य केन्द्रों में आये दिन क्या होता होगा? ये लोग केवल मंत्री के सम्भावित छापे के डर से ही अपना वह काम करते हैं जो उन्हें प्रति-दिन करना चाहिये।

सरकार ने विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई, जनता बेशक लुटती-पिटती रहे

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा विधानसभा के 6 विधायकों-सोहना से भाजपा के संजय सिंह, सढ़ोरा से कांग्रेस की रेणु बाला, सोनीपत से सुरेन्द्र पवार, सफीदों से सुभाष गांगोली और बादली से कुलदीप वत्स व फिरोजपुर झिरका से मामन खान को धमकियां मिली तो सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रत्येक विधायक की सुरक्षा के लिये चार-चार सशत्र पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। फिलहाल इनके पास अपेक्षाकृत हल्के हथियार रहते हैं जिनके स्थान पर बेहतर मारक क्षमता वाली एके-47 बंदूक दी जा रही है। इसके अलावा इन सुरक्षाकर्मियों को विधायकों के घरेलू काम करने से रोक कर बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है।

विदित है कि अधिकांश सुरक्षाकर्मी विधायकों एवं मंत्रियों के घरेलू काम करते-करते उनके परिवारों में इस प्रकार घुल-मिल जाते हैं कि वर्षों-वर्षों तक वहीं जमे रह कर बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। नियमानुसार तीन से छः माह के बाद इन सुरक्षाकर्मियों का तबादला हो जाना चाहिये।

बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि किसी भी व्यक्ति के चुनाव जीतने यानी विधायक अथवा मंत्री बनने पर उसकी जान को खतरा क्यों हो जाता है? क्या वह चुनाव जीतने के बाद इतना अलोकप्रिय हो जाता है कि उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं?

जाहिर है कि पदासीन होने के बाद ये राजनेता जिस तरह के जन विरोधी एवं लूट-मार के धंधे करते हैं, तरह-तरह के गिरोहों का पालन-पोषण करते हैं उसी के चलते ये लोग जनता में इतने बदनाम हो चुके होते हैं कि इनके अपने मतदाता ही इन्हें दुश्मन नज़र आने लगते हैं। चुनावी वायदे भूल कर जनप्रतिनिधि जब केवल अपना घर भरने में जुट जाता है तो लोकप्रियता कहां बचेगी? ऐसे में अपने ही लोगों के बीच जाने के लिये उन्हें पुलिस घेरे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वे नहीं जानते कि जब जन आक्रोश उठेगा तो उसके सामने यह घेरा कभी नहीं टिक पाता।

विधायकों तथा उनके बल पर टिकी सरकार को अपनी सुरक्षा की तो बहुत चिंता है लेकिन आम जनता की सुरक्षा से उनका कोई लेना-देना नहीं। जिस तरह की धमकियां उक्त विधायकों को मिली बताते है उस तरह की न केवल धमकियां बल्कि वारदातें आम लोगों के साथ होना रोजमर्रा की बात हो गई है। सुरक्षा देना तो दूर की बात पुलिस आसानी से एफआईआर तक दर्ज नहीं करती।

पॉलीथीन बंद कराने की नौटंकी, छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न

फ़रीदाबाद (म.मो.) जब कभी शासन-प्रशासन की नींद खुलती है तो वे कोई न कोई नया ड्रामा लेकर आ खड़े होते हैं। करीब आठ-दस साल पहले भी पॉलीथीन की थैलियां बंद कराने के आदेश प्रशासन द्वारा दिये गये थे। इन आदेशों के बल पर सरकारी कर्मचारियों ने रेहड़ी, फ़ड़ी, व छोटे दुकानदारों को जमकर रगड़ा लगाया था। अनेकों के मोटे-मोटे चालान किये गये थे तो अनेकों से चालान न करने के एवज में रिश्वतें ली गई थी। वही सिलसिला इस माह से पुनः चालू हो चुका है।

सवाल यह पैदा होता है कि सब्जी आदि को पॉलीथीन में डालकर देने वाले छोटे-मोटे दुकानदारों पर तो सरकार कानून का डंडा चला रही है, परन्तु पॉलीथीन की थैलियों में दूध बेचने वाली कम्पनियों, चिप्स व तरह-तरह की नमकीन को पैकेटों में बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा गुटका-तम्बाकू आदि को ऐसे ही पैकेटों में बेचने वाली फिल्मी हीरो कम्पनियों से सरकार क्यों घबराती है? क्या इन कंपनियों द्वारा बनाये गये पैकेट आसानी से नश्वर होने वाले पदार्थ से बने हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी किसी अन्य पॉलीथीन पदार्थ की तरह अनश्वर होते हैं।

यदि सरकार वास्तव में ही पर्यावरण के प्रति गंभीर है तो इसके नाम पर तरह-तरह की नौटंकियां न करके इस दिशा में गंभीर कदम उठाये। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि पॉलीथीन से पर्यावरण को भयंकर क्षति पहुंच रही है। इस क्षति से बचने के लिये सरकार को छुट-मुट दुकानदारों से दो-चार होने की बजाय उन कारखानों व उत्पादों को ही बंद कर देना चाहिये जहां पर इनका उत्पादन और माल तैयार होता है। लेकिन सरकार ऐसा कभी करने वाली है नहीं। करे भी क्यों, जब ड्रामेबाज़ी से ही काम चल रहा है।

गरीबों के मकानों पर विध्वंस नहीं रुका तो 'आप' आंदोलन करेगी : भगतराम

करनाल। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भगतराम ने कहा है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर डीटीपी जिस तरह से अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर गरीबों को बेघर कर रहा हैं। उससे आम आदमी कराह रहा हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने यह विध्वंस की कार्रवाई नहीं रोकी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर गरीब शोषितों के साथ आंदोलन करेंगे।

जिन गरीबों ने उन्होंने कहा कि नए डीटीपी भी पुराने के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। नए को पुराने डीटीपी का अंजाम देख लेना चाहिए। जिन गरीबों ने तिनका तिनका जोड़ कर मकान बनाया। जमीन की रजिस्ट्री तहसीलदार से करवाई। उसके बाद डीटीपी नहीं मानता उसने मकान गिरा दिया। पांच दिनों से शहर में हाहाकर मचा हुआ हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में अत्याचार की सीमा पार हो चुकी हैं। इसके लिए गरीबों की जगह कालोनाइजरों और प्रोपर्टी डीलरों के मकानों पर बुलडोजर चलाओ। मुख्यमंत्री से मांग की कि वह बीच का रास्त निकाल कर गरीबों को उजडने से बचाए। अवैध कॉलानियों के लिए पुराने डीटीपी, तहसीलदार, बिजली विभाग के अफसर भी तो दोषी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती हैं। आज विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गोराया ने साथियों के साथ पहुंच कर विकलांगों को समर्थन दिया

करनाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सिंह गोराया ने कहा है कि भाजपा सरकार की संवेदनहीनता चरम पर पहुंच गई है। पिछले तीन महीने से धरना दे रहे दिव्यांगों को भगवान भरोसे छोड़ रखा हैं। हरियारणा के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में पिछली पांच जुलाई से आमरण अनशन कर रहे दिव्यांगों के प्रति सरकार कठोर रवैया अपना रही हैं। कांग्रेस इस सब को चुपचाप बैठ कर नहीं देखेगी व जल्द आंदोलन करेगी। वह आज करनाल लघु सचिवालय के समक्ष विकलांगो द्वारा दिए जा रहे धरने में पहुँच कर दिव्यांगों को अपना समर्थन दे रहे थे।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्दरजीत सिंह गोराया ने हल्का नीलोखेडी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विकलांगो द्वारा अपनी माँगो को ले कर दिए जा रहे धरने में पहुँच कर उनकी माँगो का समर्थन किया व सरकार से माँग की कि विकलांगता के अभिशाप के कारण उनको अपने परिवारों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस लिए सरकार इनकी तरफ़ ध्यान दे इन की माँगें तर्क संगत हैं जिन्हें पूरा करने में सरकार पर कोई ज़्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं पडने वाला। इन्दरजीत गोराया ने कहा कि पिछले आठ दिन से भूख हड़ताल पर बैठे कुछ की हालत गंभीर है। सरकार को चाहिए कि इनका और लम्बा इम्तिहान न लें तथा समय रहते इनकी सभी माँगो को पूरा करें इस मौक़े पर पुलिस भर्ती बोर्ड के पूर्व सदस्य राजेन्द्र बल्हा अजीत सिंह नीलोखेडी विक्रम सिंह राणा पधाना नितिन मल्होत्रा करनाल कांग्रेस के युवा प्रधान मुकेश चौधरी सहित नीलोखेडी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया।

पॉलिथीन के विरुद्ध शहर में अभियान

करनाल। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग और ब्रिकी को सरकार की ओर से प्रतिबंधित किए जाने के आदेशों की पालना सुनिश्चित बनाए रखने के लिए नगर निगम शहर के बाजारों में लगातार छापेमारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो भी दुकानदार या रेहड़ी-फड़ी वाले दोषी पाए जाते हैं, उनका सामान जब्त कर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। मंगलवार को नगर निगम की छापे मारने वाली टीम में स्वच्छता अधिकारी महावीर सिंह सोढी के नेतृत्व में कर्ण गेट, पुरानी सब्जी मण्ड़ी, सेक्टर-13 एक्सटेंशन और इसके आस-पास के एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक का पता लगाने के लिए चेकिंग की गई, जिनमें ज्यादातर इसके थोक विक्रेता ज्यादा थे।

नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि आज की कार्रवाई में दोषी दुकानदारों के 8 चालान कर 7 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया और करीब 15 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जब्त किया गया। जब्त किए गए सामान में सिंगल यूज प्लास्टिक की प्लेटें, चम्मच, कटोरी और गिलास शामिल थे। एक बेकरी दुकानदार की दुकान पर छापेमारी से जन्मदिन पार्टी में प्रयोग किए जाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को बरामद कर उसे भी जब्त किया गया।

उन्होंने बताया कि आज की कार्रवाई में प्रतिबंधो का असर भी दिखाई दिया। अर्थात कई थोक विक्रेताओं के पास सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प कागज, केले के पत्ते व लकड़ी से निर्मित प्लेट, चम्मच, डोने व गिलास इत्यादि पाए गए। दुकानदारों को यह भी नसीहत दी गई कि वह ग्राहकों के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान न रखें, क्योंकि इसके प्रयोग के बाद यह फेंक दिया जाता है, इससे वातावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ गंदगी भी पैदा होती है।

अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग और ब्रिकी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के बाजारों में रैली निकाली गई, थोक विक्रेताओं के साथ 3 बार मीटिंग की गई तथा इसका प्रयोग न करने के लिए शहर में मुनादी भी करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अब तक की गई कार्रवाई में करीब 30 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामान को बरामद कर जब्त किया गया और दोषी विक्रेताओं से करीब 40 हजार रूपये की राशि वसूल की गई।

उन्होंने आमजन से भी अपील कर कहा कि प्लास्टिक कैरीबैग का बेहतर विकल्प कपड़े या जूट के थैले हैं, बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े के थैले घर से लेकर जाएं, दुकानदारों से पॉलीथिन कैरीबैग की मांग न करें। उन्होंने कहा कि नागरिक शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम का सहयोग करें।

आज की कार्रवाई में जिला सेनीटेशन अधिकारी के साथ सफाई निरीक्षक मनदीप सिंह, ट्रीगर मास्टर गुरदेव सिंह तथा उनके मोटीवेटर मौजूद रहे।

शहर का कूड़ा उठाने में भी घोटाला

करनाल, मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

मैने ये निम्नलिखित शब्द डीसी साहब एवं नगर निगम कमीशनर को व्हट्स्प के माध्यम से भेजे थे।

आदरणीय उपायुक्त महोदय जी नमस्कार

मै आपके साथ करनाल के सॉलिड वेस्ट प्लांट की कुछ फ़ोटो व विडीओ साँझा करना चाहता हूँ जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नगर निगम के अधिकारी ठेकेदार के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं ओर अपनी जेब गरम कर रहे है ।

करनाल सॉलिड वेस्ट प्लांट पर कचरे की प्रॉसेसिंग का कार्य केएल मदान ठेकेदार को दिया गया है जो कि सारा कचरा प्रॉसेस करने की बजाए प्लांट से बाहर ले जा कर खेतों में दबा रहा है ओर नगर निगम से कचरे की प्रॉसेसिंग की पेमेंट ले रहा है । इस टैंडर को लेने के लिये जो शर्तें पूरी होनी चाहिए थी वो यह पूरी नहीं कर पाया, फिर भी इसको टैंडर दिया गया। यह ठेकेदार अधिकारियों का प्यारा इसलिए है क्योंकि सभी सम्बंधित अधिकारी इसके नाम पे टैंडर डालकर इसको 10 प्रतिशत देकर बाक़ी आपस में बाँट लेते हैं।यह ठेकेदार 5-6 साल से यहाँ कूड़े के 90 प्रतिशत काम अकेला कर रहा है। अब तो अख़बार और लोकल चैनल पे भी इसकी मज़बूत पकड़ हो गई है। यह कार्य ठेकेदार , कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता सबकी मिलीभगत से किया जा रहा है ।

प्लांट पर लगी हुई मशीन कंडम आवस्था में है जो कि एक दिन में 30-40 टन से अधिक कचरा नही निकाल सकती जिससे ये प्रॉसेसिंग का कार्य दिखाकर पेमेंट ले रहे है ।

जब आप प्लांट पर जाएँगे आपको सभी चीजें स्पष्ट हो जाएँगी। मैं मौक़े पर जा कर दिखा सकता हूँ कि इसने कहाँ कहाँ कूड़ा डाला है। इस ठेकेदार और अधिकारियों के कारनामें देखकर आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी।

निवेदक-बलविन्द्र सिंह पार्षद नगर निगम करनाल 9254180000

मैने घोटाले से संबंधित बहुत से वीडियो और फ़ोटो डीसी साहब और नगर निगम कमीशनर को आज भेजे लेकिन डीसी साहब ने ये सब सबूत देखने के बाद मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया और जाँच करने आए एनजीटी कोर्ट के जज को यहीं डीसी साहब ने अपने दफ़्तर से ही संतुष्ट करके भेज दिया। मुझे कहीं से जज साहब के साथ आये बाबू राम जी का नंबर मिल गया और मैंने उस नंबर पे घोटाले वाली वीडियो सैंड कर दी और साथ ही कुछ मीडिया वाले भाईयों को भी वीडियो सैंड कर दी। फिर जज साहब कर्ण लेक से वापिस आए और कचरा प्लॉट पर पहुँच गए। पीछे पीछे मैं और लाडी सन्धु भी पहुँच गए। वहाँ पर मेरे पेज पर लाइव होकर सारे घोटालों को जज साहब के सामने खेतों में जाकर दिखाया। अभी 3-4 जगह पे ही घोटाले दिखाए थे और 5-6 जगह और दिखानी चाही तो जज साहब बोले कि अब और दिखाने के लिये बचा ही क्या है। वो भी इतने बड़े लेवल के घोटाले को देखकर हैरान हो गये।

साथियों कुनाल मदान इस टैंडर के लिये क्वालीफ़ाई नहीं करता था फिर भी अधिकारियों ने इसके नाम टैंडर छोड़ दिया क्योंकि अधिकारी इसके नाम टैंडर खुद लेते हैं। इस टैंडर अनुसार शहर का कूड़ा प्लॉट में लेजाकर उसकी खाद बनाकर देनी होती है लेकिन अधिकारी और ठेकेदार मिलकर शहर से उठाकर प्लांट पर ले जाकर वहाँ पे तौल करके सरकार को बिल भेज देते थे और फिर रात को डम्पर में लादकर गहरे खेतों में डाल देते थे। इस तरह ठेकेदार और अधिकारी नगर निगम से भी लगभग 6000/- प्रति डम्पर लेते थे और किसान से भी 2000 से 3000/- प्रति डम्पर ले लेते थे और प्रतिदिन लगभग 20 डम्पर बेचते थे और अदाजा 50 लाख प्रति महीना कुनाल मदान और अधिकारी शहर की भोली भालीं जनता को चूना लगा रहे थे।

यह तो मात्र कूड़े के एक टैंडर का घोटाला है । कुनाल मैदान के कूड़े के ऐसे कई टैंडर हैं बाकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैने मौक़े पर जाकर जज साहब को दिखा दिया है और बलविन्द्र सिंह के नाम पे जो मेरा पेज है उस पर लाइव भी कर दिया है।

कुटेल स्थित मेडिकल विश्वविद्यालय को जनवरी 2023 से चालू करने का दावा

करनाल। उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कुटेल में करीब 761.51 करोड़ रुपये की लागत से पं0 दीनदयाल उपाध्यय मेडिकल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिसमें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त 730 बेड का एक अस्पताल , संस्थान तथा रिहायशी भवन शामिल है। इस विश्वविद्यालय का 70 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। उपायुक्त ने शेष कार्य आगामी दिसम्बर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि जनवरी 2023 में मेडिकल विश्वविद्यालय चालू हो सके। मेडिकल विश्वविद्यालय के बनने से आस-पास के लोगों को जहां बेहतरीन मेडिकल सेवाओं का लाभ मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी सृजन होगे।

उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्व विद्यालय के निर्माण की गति को तेज करे और अपने अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय में काम पूरा करवाए, ढील ना बरतें। बैठक में उपायुक्त ने विश्व विद्यालय प्रशासन की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिए कि वह विश्वविद्यालय का निरीक्षण करे और बरसाती पानी की निकासी का समुचित प्रबंध करें

दावे तो दावे होते हैं दावे करने में क्या जाता है। बीते आठ साल से मनोहर सरकार दावे ही तो कर रही है। उक्त विश्वविद्यालय बीते छह वर्षो से निर्माणाधीन चल रहा है। अब उपायुक्त निर्माण करने वाले ठेकेदार को दिसम्बर तक काम पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं। काम पूरा केवल निर्देशों से नहीं होता, उसके लिए ठेकेदार को समय पर पेमेंट भी मिलनी चाहिए। जो कभी मिलती नहीं है।

इस अवसर पर कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कॉलेज के निदेशक मैडिकल विश्वविद्यालय के नियंत्रक जगदीश दुरेजा, लेखा अधिकारी प्रवीन बहल, सीपीएसयू एजेंसी के एजीएम संजय कुमार, इंजीनियर अंकित कुमार उपस्थित रहे।

हिन्दू-मुस्लिम समस्या का मर्म

हरेन्द्र कुमार

पूरा देश दावानल में धूं-धूं कर जल रहा है। गरीब हिन्दू-मुसलमान दोनों जंगल में लगी भयानक आग में झुलस-झुलसकर दम तोड़ रहे हैं। बादलों का कहीं नामों निशां नहीं हैं। इंद्रदेव आंखे चुरा रहे हैं। पता नहीं ये दावानल कब बुझेगा? पता नहीं ये देश फिर कब हरा-भरा होगा?

मुसलमानों की रोजी-रोटी, शिक्षा, रोजगार, मान-सम्मान, धर्म-संस्कृति और राजनीति पर चारों ओर से हमला किया जा रहा है। कहर बरपा हो रहा है। पूरे देश की अवाम को 'घृणा की अवाम' में तब्दील कर दिया गया है। हिन्दू-मुस्लिम दोनों की सारी ऊर्जा इसी मुद्दे पर केन्द्रित हो गयी है। ऊपर से तुर्रा ये कि देश की सारी मुसीबतों की जड़ ये मुस्लिम ही हैं। क्या कोई भी शख्स अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात कह सकता है कि ये खुद मुसीबत के मारे सबके लिए मुसीबत की जड़ हैं ?

दूसरा सवाल ये है कि मुसलमानों पर तो अब जुल्मों-सितम की इंतिहा हो गयी। अब तो हिंदुओं के सारे दुख-दलिद्दर दूर हो जाने चाहिए? लेकिन क्या हिन्दू गरीबों की रोजी-रोटी, शिक्षा, रोजगार, मान-सम्मान, धर्म-संस्कृति तथा राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हैं ? क्या हिन्दू सुख-चैन से जिंदगी जी रहे हैं ? जरा सोचना एक बार तनहाई में बैठकर।

ये समस्याएं कभी दूर नहीं हो सकतीं। क्योंकि देश की नीतियां वाशिंगटन, लंदन और टोक्यो में बनती हैं। उन देशों की बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के अनुसार बनती हैं न कि देश की अवाम की प्राथमिकताओं के अनुसार। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर पूरे देश की नीलामी बोली जा रही है विदेशियों के लिए। जिसके परिणामस्वरूप पूरा देश तबाह हो रहा है। आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। भूख, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, गुलामी, दमन, उत्पी?न, शोषण और वंचना देश की लाइलाज समस्याएं बन चुकी हैं !

देश की इन असली समस्याओं पर पर्दा डाला जा रहा है।

इस पर्दानशी में भाजपा, कांग्रेस तथा देश के तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूरी तरह एकमत हैं। बस सत्ता हथियाने के लिए कुछ फर्क दिखाने की कोशिश करते हैं। वामपंथी पार्टियां भी कुछ हाय-तौबा मचाकर अपने फर्ज की इतिश्री कर लेती हैं।

देशी-विदेशी पूंजीपति, बड़े फार्मर, संसद, विधायिकाएं, न्यायालय, नौकरशाही, पुलिस-फोर्स, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, टीवी, सोशल मीडिया, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय गुंडों के गैंग, मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारों और गिरिजाघरों के नामचीन ठेकेदार- इस यथास्थिति के रक्षक और पोषक हैं।

मजदूर, गरीब किसान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, उप-राष्ट्रीयताएं, औरतें, छात्र और तरक्की पसंद बुद्धिजीवी इस व्यवस्था द्वारा शोषित-दमित-उत्पीड़ित और वंचित हैं।

आज की यही सच्चाई है। लेकिन यह सच्चाई नदी में तैरते हिम शैल का बस कंगूरा है। सम्पूर्ण हिम शैल देखने के लिए हमें इतिहास रूपी नदी में डुबकी लगानी प?ेगी। चलिये हिन्दू -मुस्लिम समस्या का असली मर्म पक?ने के लिए इतिहास का एक विश्लेषण करें।

समाज की कोई भी समस्या उस खास समाज की बनावट-बुनावट से ही पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर चंदन का वृक्ष शीतल होता है और बबूल के वृक्ष पर शूल लगते हैं। ये उन वृक्षों की एक खास बनावट-बुनावट, उनके तासीर, उनकी अंतर्वस्तु पर ही निर्भर करता है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या का मर्म भी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में निहित है। वह संरचना है जातिवादी-पितृसत्तात्मक। जिसको स्वर्ग-नरक, मोक्ष, ज्ञान, कर्म, जन्म-जन्मांतर तथा अवतारवादी भक्ति के दृष्टिकोण से जायज ठहराया जाता है। इस सामाजिक संरचना में ऊपरी जातियों का प्राकृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधनों पर कब्जा होता है तथा मर्दों का औरतों पर प्रभुत्व। निचली जातियां अपने-अपने सोपानक्रम के अनुसार शोषित-दमित-उत्पीड़ित और वंचित रहती हैं।

इस्लाम धर्म की सामाजिक संरचना सिद्धान्त के रूप में बराबरी और सार्वभौमिक भाईचारे को मानती है। उपरोक्त जातिवादी सामाजिक संरचना के विरुद्ध है और इसके बरक्स एक विकल्प पेश करती है। इसी वजह से इन दोनों सामाजिक संरचनाओं में टकराव है। यानि हिन्दू-मुस्लिम समस्या दो मुख्तलि? सामाजिक संरचनाओं के टकराव से पैदा हुई समस्या है। यही इस समस्या का मर्म है।

यह जानने के लिए पूर्व इस्लामिक भारत पर एक सरसरी नजर डालना जरूरी है। आर्यों ने भारत में जातिवादी-पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की नींव डाली और इसे सुदृढ़ किया। जिसे स्वर्ग-नरक, कर्म, ज्ञान, मोक्ष, जन्म जन्मांतर और भक्तिवाद के दृष्टिकोण से जायज ठहराया। क्षत्रिय और पुजारी इस सामाजिक संरचना के शीर्ष पर थे। वैश्य, शूद्र, अछूत और औरतें शोषित-दमित-उत्पीडित और वंचित थे।

इस्लाम धर्म का आगमन और उसका विरोध

इसी दौरान 7 वीं- 8 वीं सदी में भारत में इस्लाम धर्म के कदम पड़े। पहले-पहल इस्लाम भारत में अरब व्यापारियों और सूफी संतों के भेष में आया। इस्लाम की सामाजिक संरचना बराबरी और सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धान्त पर आधारित थी। जो श्रम के जातिवादी बँटवारे पर आधारित सामाजिक संरचना के लिए एक चुनौती बन गयी और एक नया विकल्प पेश की। बौद्ध और जैन धर्म की तरह इस्लाम की सामाजिक संरचना ने भी क्षत्रिय और पुजारियों की नींद उड़ा दी। उन्हें डर सताने लगा कि शारीरिक श्रम करने वाली निचली जातियां उनके चंगुल से निकाल जाएंगी। ये जातियां इस्लाम कबूल कर लेंगी। ऐसा होने पर उनके परजीवी जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इन्होंने तुरंत इस्लाम के खिलाफ हमला बोल दिया। जाति की व्यवस्था को एकदम जड़ बना दिया और जनमानस के दिमाग को स्वर्ग-नरक के दृष्टिकोण से एकदम जकड़ दिया। इस्लाम के खिलाफ जहर भरना जारी रखा।

इसके बावजूद भी निचली जातियों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन विडम्बना यह है कि इस्लाम में भी निचली जातियों को आर्थिक-राजनीतिक बराबरी नहीं मिली। बस सामाजिक और धार्मिक बराबरी मिली।

11 वीं-15 वीं सदी तक इस्लामिक सुल्तान और बादशाह भारत आते रहे। यहीं पर बसते गए। इसको उन्होंने अपना वतन माना। इन सुल्तानों और बादशाहों ने क्षत्रिय राजाओं और पुजारियों के साथ-साथ जमींदारों,जागीरदारों, नवाबों ,अमीर-उमरा की एक भारी परजीवी जमात निचली श्रमिक जातियों की छाती पर रख दी। भारतीय इस्लाम में भी जातिवादी ऊँच-नीच पैदा हो गयी। शेख,सैयद, खान,पठान, भारतीय इस्लाम में शिखर पर माने जाते हैं। यही लोग आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर वर्चस्व रखते हैं। दूसरी ओर धोबी, नाई, तेली, सकके, जुलाहे, लुहार, दर्जी आदि निचले स्तर पर आते हैं तथा कोई आर्थिक राजनीतिक हक नहीं रखते हैं। बस सिवाय सामाजिक और धार्मिक भाईचारे के।

हिन्दू और इस्लामिक शासकों ने निचली श्रमिक जातियों को अपने-अपने आर्थिक-राजनीतिक हितों के अनुसार अपने पीछे गोलबंद किया। एक-दूसरे के धर्म के खिलाफ उनके दिमागों में जहर भरा, उन्हें आपस में ल?वाया और दुश्मनी की खाई गहरी की। हरेक धर्म की आर्थिक-राजनीतिक सत्ता का यही चरित्र होता है।

इसके विपरीत इस्लामिक और हिन्दू संतों, फकीरों, गायकों, लेखकों तथा कलाकारों ने मेल-जोल के बीज बोये और भाईचारे को बढ़ावा दिया। लेकिन वे आपसी दुश्मनी के

बीज का खात्मा नहीं कर पाये। करते भी कैसे बीज तो जातिवादी आर्थिक-राजनीतिक सामाजिक संरचना में था जिसको वे तो? नहीं पाये।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद और हिन्दू-मुस्लिम समस्या

16 वीं-17 वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। इन उपनिवेशवादियों ने जातिवादी-पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को ज्यों का त्यों बनाए रखा। इसी संरचना पर पूंजीवाद आरोपित किया। इस संरचना से पैदा हुए हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा दिया तथा दुश्मनी की दरार को और चौड़ा कर दिया। उन्होंने पूरे देश का बर्बरता पूर्ण तरीके से विध्वंस किया। हिन्दू-मुस्लिम शासक वर्ग और विशेषाधिकार प्राप्त लोग अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए। उनकी लूट में हिस्सा बंटवाने लगे। हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग इन्हीं पिट्ठू विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की पैदाइश थी जिसकी परिणति हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बँटवारे की त्रासदी में हुई।

1947 की आजादी

1947 में देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आजाद हुआ। देश की बागडोर टाटा-बिड़ला जैसे पूंजीपति और सामन्तों, जमींदारों, जागीरदारों तथा अमीर-उमरा के हाथों में आई। जिनका प्रतिनिधित्व नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही थी। इन जातिवादी-पितृसत्ता के रक्षक और पोषकों ने इस व्यवस्था को बनाए रखा। दूसरी ओर हिन्दू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जातिवादी समाज संरचना को बनाए रखने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए थे। अब भला जातिवादी समाज संरचना से पैदा हुई हिन्दू- मुस्लिम समस्या कैसे खत्म हो सकती थी? हुई भी नहीं।

नेहरू सरकार ने पूंजीपतियों और सामंतों के हितों को वरीयता दी। जातिवाद और पितृसत्ता को बनाए रखा। सभी निचली जातियों और औरतों को जमीनों का मालिक नहीं बनाया। उनकी राजनीति में भागीदारी नहीं हुई। इनको स्वर्ग-नरक के दृष्टिकोण से मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दी तथा वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण नहीं किया। हिन्दू-मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित अंग्रेजों का लिखा इतिहास पढ़ाया जाता रहा। हिन्दू- मुस्लिम तथा गरीब जातियों को लड़वाकर अपना आर्थिक और राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे।

1990 में उपनिवेशवाद की वापसी

1990 में भारत नया उपनिवेश बना। अमरीका ने नवउदारवादी 'नयी आर्थिक नीति' पेश की। जिसका मतलब था निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने गुलामी के इस काले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस नयी गुलामी को संचालित किया गया। अब अमरीका के नेतृत्व में ये साम्राज्यवादी वित्त और तकनीक के दम पर हमारे आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक भाग्य का फैसला करते हैं। सब उन्हीं के रहमोकरम पर है। सारे फैसले टोक्यो,वाशिंगटन और लंदन में लिए जाते हैं। देशी पूंजीपति उनके दुश्मन-सहयोगी बन गए और शोषण में हिस्सा बंटवाने लगे तथा हमारी सरकारें उनके विदेश मंत्रालय बन गयीं।

नयी साम्राज्यवादी गुलामी ने देश को तबाह कर दिया है। अमीरी-गरीबी का फर्क आसमान छू रहा है। मजदूर-गरीब किसान, दलित, आदिवासी तथा उपराष्ट्रीयताएं असहाय हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूरे देश की रगों में घृणा और जहर फैल गया हैं। छात्र-नौजवान बेरोजगारी, अशिक्षा, धूर्तता, नशाखोरी और अपराधों की भेंट चढ़ रहे हैं। देश की लड़कियां देशी-विदेशी अमीरों की सेज सजा रही हैं।

इस कुकृत्य को अंजाम देने के लिए जरूरी था कि जातिवाद-पितृसत्ता को मजबूत किया जाए और हिन्दू-मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ाया जाए। मण्डल कमीशन जैसे कामों से जातिवाद को सुदृढ़ किया गया तथा बाबरी मस्जिद विध्वंस से हिन्दू-मुस्लिम दुश्मनी को आम कर दिया गया। जैसे-जैसे ये लुटेरे साम्राज्यवादी हमारा सब कुछ छीनते जा रहे हैं वैसे-वैसे हिन्दू-मुस्लिम समस्या को भी बढ़ावा देते जा रहे हैं। सबका ध्यान इसी समस्या पर केन्द्रित कर दिया गया है। यही आज की हिन्दू- मुस्लिम समस्या का मर्म है।

हम सभी छात्रों-नौजवानों और तरक्की पसंद बुद्धिजीवियों से गुहार करते हैं। सभी एकजुट होकर इस नयी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी गुलामी के बारे में सोच-विचार करें। साम्राज्यवाद के रहते कभी जातिवाद-पितृसत्ता से मुक्ति नहीं मिल सकती।पूंजीवादी-साम्राज्यवादी-जातिवादी-पितृसत्तावादी शोषणकारी व्यवस्था के रहते कभी हिन्दू-मुस्लिम समस्या खत्म नहीं हो सकती। पूरा देश दावानल में झुलस-झुलसकर दम तोड़ता रहेगा। अदम गोंडवी ने बहुत ही प्रासंगिक बात कही है :

छेड़िए एक जंग मिल-जुलकर गरीबी के खिलाफ
दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए

सीखिये धर्म किसे कहते हैं!

गांव में आज भी मुसलमानों की शादियों में हिंदुओं के लिए एक पंडाल अलग से लगता है जिसमें हिंदू हलवाई अलग से खाना बनाता है और हिंदू पड़ोसी उसमें खाते हैं।

लेकिन मैंने एक भी शादी ऐसी नहीं देखी जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए अलग से हलाल खाने की व्यवस्था की हो।

अगर उदार हिंदू मुसलमानों को अपनी शादी में बुलाते भी हैं तो मुसलमान खुद ही खुशी खुशी शाकाहारी खाना खाते हैं, वे कभी इस बात की शिकायत नहीं करते कि हमारे लिए अलग व्यवस्था नहीं की गई।

मैंने अनेकों जगह सांप्रदायिक हिंसा के बाद राहत का काम किया है।

पीड़ित मुसलमान यह जानने के बाद कि मैं हिंदू हूं मेरे लिए दुकान से कोल्ड ड्रिंक मंगवाते थे क्योंकि उन्हें स्वाभाविक तौर पर लगता है कि मैं उनके घर की बनी हुई चाय नहीं पीऊंगा।

यह देख कर मेरा दिल बहुत टूटता था और मैं अक्सर चाय नापसंद करने वाला होकर भी उनका यह वहम तोड़ने के लिए उनके घर की चाय पीता था।

अपने किसी मुसलमान दोस्त को लेकर हिंदू मंदिर में जाने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। अलबत्ता मैं खुलेआम बिना डरे अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ उनकी मस्जिद में गया, मैं आराम से एक तरफ बैठा रहा उन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नमाज पढ़ी, उन्हें एक हिंदू के वहां बैठे रहने से कोई परेशानी नहीं हुई।

शुद्धतावाद हिंदू धर्म का मूल आधार है। यहां शुद्धता के नाम पर दूसरी जातियों वर्णों से नफरत की गई, महिलाओं को पाप योनि कहा गया यहां तक कि अपने ही शरीर के बाएं हिस्से को अशुद्ध कहा गया है।

जो सबको अशुद्ध कहकर दूर करता जाएगा वह अकेला हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, यही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संकट है।

हिंदू धर्म के सामने खतरा मुसलमानों ईसाइयों या कम्युनिस्टों की तरफ से नहीं है इसके भीतर से है वह इसकी बनावट में ही मौजूद है।

यह दूसरों को स्वीकार ही नहीं कर सकता यह सब को दुत्कारता है।

अपने ही धर्म के दलितों को जानवरों से भी बुरी हालत में रखने की वजह से लोग बराबरी की तलाश में या तो मुसलमान बने या ईसाई बने।

खुद में सुधार करने की बजाए अगर आप दूसरों की मस्जिदों पर हमला करते फिरेंगे और उन पर झंडा लगाकर खुद को फैलाने की कोशिश करेंगे तो वह कोशिश बेकार जाएगी।

आपके अपने जो लाखों मंदिर है उनमें आप अपने ही धर्म को मानने वाले करोड़ों दलितों के घुसने पर रोक लगा कर बैठे हुए हैं।

प्रेम धर्म है, दंगा करना धर्म नहीं है।

आप सोचते हैं दंगा करने से आपका धर्म फैल जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं।

साथ का प्यारा दृश्य देखिए, सफाई कर्मचारी थककर मस्जिद में सो गया है और नमाजी उसे जगाए बिना अपनी नमाज पढ़ रहे हैं।

- हिमांशु कुमार

न्याय मांगने पर जुर्माना

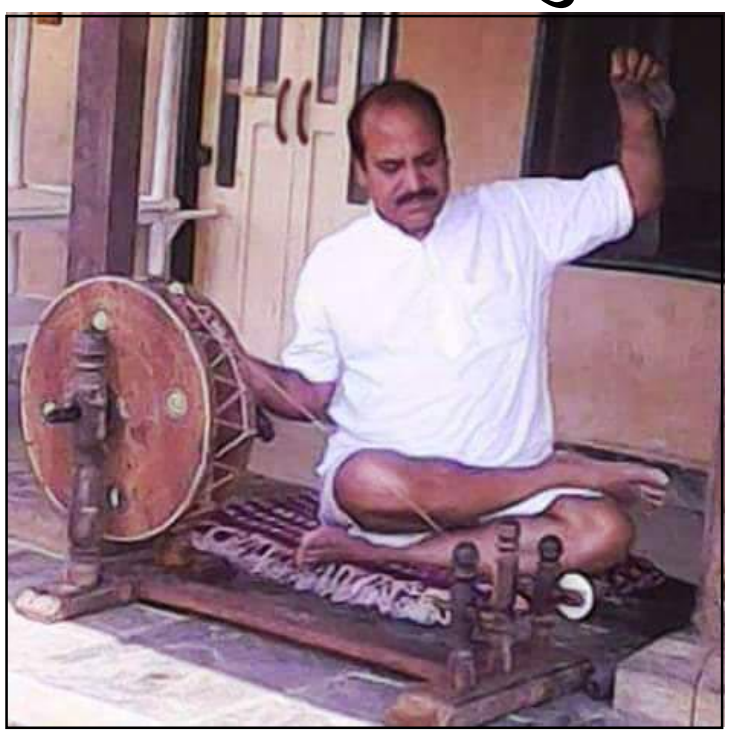

बस्तर के आदिवासियों के बीच दो दशक रहकर उनकी लड़ाई और हक के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले हिमांशु कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

यह राशि उन्हें 4 हफ्तों में देना होगा,अगर जुर्माना नहीं दे पाए तो उन्हें जेल जाना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धारा 211 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करें। हिमांशु कुमार एक असाधारण योद्धा हैं। वे युवा रहते हुए ही आदिवासियों की भलाई के लिए बस्तर आये और परिवार के साथ बस्तर के दंतेवाड़ा में ही रहना शुरू किए. वनवासी चेतना आश्रम बनाकर आदिवासियों के बीच काम करने लगे।

छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार जब माओवादियों के नाम पर भोले-भाले आदिवासियों को मारने लगे तो उन्होंने विद्रोह किया। उनके आश्रम को रमन सिंह सरकार ने उजाड़ दिया. इसी दौरान कल्लूरी नामक एक दुर्दांत पुलिस अधिकारी ने बस्तर में खूब मारकाट मचाया और सैकड़ों आदिवासियों को नक्सली कहकर मरवा दिया। 2009 में सुकमा ज़िले के गोमपाड़ में 16 आदिवासियों के फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने और एक मासूम बच्चे का हाथ काटने के मामले में हिमांशु कुमार ने सुरक्षा बलों पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

13 साल बाद न्याय तो नहीं मिला लेकिन हिमांशु कुमार को आदिवासियों के लिए न्याय मांगने पर सजा जरूर मिल गई है। पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज झेलने वाले हिमांशु कुमार चेहरे पर मुस्कान रख तानाशाही से लड़ते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें 2007 से जानता हूँ जब वे एक वेबसाइट में बस्तर के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों के जुल्म की कहानी लिखते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में वे कई मामले लेकर गए और उन्हें तब न्याय भी मिला।

हिमांशु कुमार अभी कहते हैं उनके जेब में 5 लाख तो क्या 5 हजार भी नहीं है। हर एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता की जेब की यही कहानी है। उनके पास क्या होगा मैं बता सकता हूँ। उनके झोले में बस्तर के आदिवासियों की चिट्ठी होगी। देश के किसी हिस्से में इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने, एक होने का पम्पलेट होगा। कल संजीव भट्ट को गुजरात दंगा मामले में जेल से ही गिरफ्तार किया गया है और आज 13 साल बाद आदिवासियों के लिए न्याय मांगने पर हिमांशु कुमार को जेल भेजने की पूरी तैयारी है।

हम हमारे लिए इस तानाशाही दौर में लड़ने और लड़ने की हिम्मत देने वाले साथियों को खोते जा रहे हैं। उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है. प्रताड़ना दी जा रही है। आप अगर इस तानाशाही सरकार और बिक चुके न्यायपालिका के खिलाफ हिमांशु कुमार के साथ खड़े नहीं होते हैं तो समझिए आप मुर्दा हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद हिमांशु जी ने अपना बयान जारी किया है-

चंपारण में गांधी जी से जज ने कहा तुम्हें सौ रुपयी के जुर्माने पर छोड़ा जाता है।

गांधीजी ने कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा।

कोर्ट ने मुझसे कहा पांच लाख जुर्माना दो, तुम्हारा जुर्म यह है तुमने आदिवासियों के लिए इंसाफ मांगा।

मेरा जवाब है मैं जुर्माना नहीं दूंगा।

जुर्माना देने का अर्थ होगा मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूं।

मैं दिल की गहराई से मानता हूं कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है।

यह जुर्म हम बार-बार करेंगे।

जमानत होने के बाद एक और मुकदमा, जुबैर को जेल में ही रखना चाहती है सरकार!

जेपी सिंह

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जब से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक के बाद एक उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले एक्शन लिया, उसके बाद सीतापुर और लखीमपुर खीरी पुलिस ने भी शिकंजा कस दिया। चौतरफा विवादों से घिरे ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की मुश्किल उस वक्त और बढ़ गई जब 2021 में उनके खिलाफ लखीमपुर जिले के मोहम्मदी थाने में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में दर्ज एक मामले में एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद शुक्रवार देर शाम मोहम्मदी पुलिस ने विवादित ट्वीट मामले में जेल में निरुद्ध जुबैर को सीतापुर जिला कारागार में वारंट तामील करा दिया। अब जुबैर को मोहम्मदी की एसीजेएम कोर्ट में 11 जुलाई को पेश होना होगा। अदालत ने उन्हें सोमवार को पेशी पर तलब किया है।

दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी, पर उससे जुबैर को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा। उनके खिलाफ दिल्ली और लखीमपुर खीरी में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पहली बार जब उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबर आई थी तो पता चला कि 2018 में देवता के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन जल्द ही जुबैर की फाइल खुलती चली गयी। जुबैर को एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में उनके खिलाफ विदेशी फंडिग की भी जांच शुरू हो गयी।

नया मामला यूपी की लखीमपुर पुलिस द्वारा जुबैर को एक मामले में वारंट तामील कराने का है, जिससे जुबैर का मामला और उलझता नजर आ रहा है। जुबैर के खिलाफ यह वारंट दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में 2021 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। जुबैर को 11 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा गया है। दरअसल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मोहम्मदी की अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारंट भी जारी किया था, जिसे शुक्रवार को खीरी पुलिस ने तामील करा दिया है।

खीरी की एक अधीनस्थ अदालत के आदेश से 25 नवंबर 2021 को जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को खीरी पुलिस सीतापुर पहुंची और मोहम्मदी एसीजेएम की अदालत द्वारा जारी वारंट सीतापुर जिला जेल अधिकारियों को सौंप दिया जहां जुबैर बंद है।

दिल्ली की एक अदालत ने 2 जुलाई को ही आरोपी के कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जुबैर 2018 में हिंदू देवता के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में आरोपी हैं और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्य मिटाना) तथा विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 भी जोड़ी है। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि आरोपी को पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से 'रेजरपे पेमेंट गेटवे' से पैसे मिले, जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है।

आरोपी की तरफ से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि उनका मुवक्किल जुबैर कोई आतंकवादी नहीं है कि उन्हें उसकी मौजूदगी सुरक्षित करने की जरूरत है। जज ने अपने आठ पन्नों के आदेश में कहा था कि चूंकि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है और मामले के समग्र तथ्य और परिस्थितियां तथा आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के मद्देनजर, जमानत देने का कोई आधार नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है।'

जज ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए जांच के दौरान नई धाराएं जोड़े जाने को भी संज्ञान में लिया। इस दलील पर कि लैपटॉप और मोबाइल फोन की जब्ती अवैध थी और आरोपी की गोपनीयता को प्रभावित कर रही थी, अदालत ने कहा कि यह पुलिस की फाइल का हिस्सा था कि आरोपी के पास से 27 जून को जब्त किए गए मोबाइल फोन में कोई डेटा नहीं था। आरोपी के इस दावे पर कि उसका पुराना मोबाइल चोरी हो गया था, अदालत ने कहा, 'रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो यह दर्शाता हो कि आरोपी का कोई मोबाइल फोन खो गया है।

जज ने कहा कि आरोपी को 16 जुलाई को संबंधित अदालत या ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर जिले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में बीते शुक्रवार को उन्हें पांच दिन के लिए या नियमित पीठ में सुनवाई के समय पारित होने वाले आदेश तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि वह एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेशानुसार हिरासत में ही रहेंगे और अब एक नया मामला खीरी का भी जुड़ गया है।

उच्चतम न्यायालय ने जुबैर के मामले को लेकर कुछ भी ट्वीट नहीं करने और किसी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सामग्रियों से छेड़छाड़ नहीं करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत से जुड़ा आदेश सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में है और इसका दिल्ली में जुबैर के खिलाफ दायर एक अन्य मामले से कोई लेना-देना नहीं है। जुबैर इस समय दिल्ली में न्यायिक हिरासत में हैं।

जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा था कि यह विडंबना है कि जो घृणा फैलाने वाले भाषण देते हैं, वे जमानत पर हैं, जबकि उनके ऐसे भाषणों का खुलासा करने वाला याचिकाकर्ता हिरासत में है। उन्होंने कहा कि यह देश क्या बन गया है? न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने जुबैर की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को 12 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने सीतापुर में दर्ज मामले में जांच पर रोक नहीं लगाई है और जरूरत पड़ने पर पुलिस लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर सकती है।

हिंदू शेर सेना की सीतापुर जिला इकाई के अध्यक्ष भगवान शरण द्वारा जुबैर के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश मामले में जांच अधिकारी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) और धारा 152 ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उन्होंने कहा कि जुबैर द्वारा सार्वजनिक रूप से संतों को घृणा फैलाने वाले' कहने से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने से हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति के खिलाफ ट्वीट किया है, वह सम्मानित हैं और उसके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं।

गोंजाल्वेस ने कहा कि उनके मुवक्किल ने ट्वीट करने की बात स्वीकार की है, लेकिन इन ट्वीट से कोई अपराध नहीं हुआ है और उन्होंने घृणा पैदा करने वाले भाषण देने के अपराधों का केवल जिक्र किया था और पुलिस ने बाद में उन्हीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की।

सालिसीटर जनरल मेहता ने कहा कि यह एक या दो ट्वीट की बात नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि वह एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जिसने देश को अस्थिर करने के इरादे से नियमित रूप से इस प्रकार के ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि हम अधिक खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि जांच लंबित है, लेकिन इस मामले में धन की संलिप्तता का सवाल है। उन्हें उन देशों ने धन अनुदान में दिया है, जो भारत के विरोधी हैं।' गोंजाल्वेस ने कहा कि उनके मुवक्किल के जीवन को खतरा है और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया आदेश सुनवाई की अगली तारीख से पहले अन्य दस्तावेजों के साथ दाखिल किया जाए।

सब ताज उछाले जाएँगे सब तख़्त गिराए जाएँगे...

फैज अहमद फैज

सब ताज उछाले जाएँगे
सब तख़्त गिराए जाएँगे...

लाज़मि है कि हम भी देखेंगे
वो दिन कि जिस का वादा है
जो लौह-ए-अजल में लिख्खा है
जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोह-ए-गिराँ
रूई की तरह उड़ जाएँगे
हम महकूमों के पाँव-तले
जब धरती धड़-धड़ धड़केगी
और अहल-ए-हकम के सर-ऊपर
जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी
जब अर्ज़-ए-ख़ुदा के काबे से
सब बुत उठवाए जाएँगे
हम अहल-ए-सफ़ा मरदूद-ए-हरम
मसनद पे बिठाए जाएँगे

सब ताज उछाले जाएँगे
सब तख़्त गिराए जाएँगे
बस नाम रहेगा अल्लाह का
जो ग़ाएब भी है हाज़िर भी
जो मंज़र भी है नाजिर भी
उट्ठेगा अनल-हक़ का नारा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो
और राज करेगी ख़ल्क़-ए-ख़ुदा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

क़ुरबानी न फ़र्ज़ है न वाजिब है

फरहत दुर्रानी

क़ुरबानी न फ़र्ज़ है और न वाजिब सिवाए हज के दौरान, हजरत इब्राहीम का ये टेस्ट सिर्फ इब्राहीम के लिए था ना कि लोगो के लिए। एनिमल सैक्रिफाइस करना है तो वो भी सिर्फ काबा (बैतुल अतीक, एंशेंट हाउस) पर ही हो सकता है। सूरा 22 अल हज वर्सेज 25-37।

यही बात गोल कर दी गई है, और पूरी क़ौम पर इसका बोझ डाल दिया गया कि जो साहिब-ए-हैसियत नहीं है वो भी बकरा क़र्ज़ ले दे कर क़ुरबानी करने को मजबूर है, और बकरा भी कहीं रियायती दामों पर नहीं मिलता , महंगे से महंगा ही दस्तयाब है, यानि जानवर से ज़्यादा इंसान की खाल उतारी जा रही है। इंसान अपनी ज़बान का ग़ुलाम है और ले दे के सारे झगड़े/ युद्ध भी बलशाली बनने के लिए दुनिया भर की ऐशपरस्ती हासिल करने के लिए ही हैं, मानव भी एक समाजिक पशु ही है और दूसरे पशुओं को प्राचीन काल से खाता आया है तो इसमें और भी गिरावट की ही सम्भावना है, कि कल को ज़ायक़े के लिए दूसरे मनुष्यों को ही न खाने लगे, वैसे भी नरभक्षता के बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, हां प्रकृति स्वयं इस पर लग़ाम ला सकती है, मांस जनित रोगों के द्वारा। मनुष्य मांस भक्षण तभी छोड़ेगा जब उसे अपनी जान का ख़तरा होगा।

रही बात क़ुरबानी की तो त्यौहार खाने पीने उत्सव मनाने का एक ज़रिया भर हैं, बस बहाना ढूंढा जाता है किसी न किसी पहलू से, वरना इसका कोई औचित्य ही नहीं है कि अल्लाह ने अपने एक नबी का इम्तिहान लिया, तो आपको ये लाइसेंस कैसे मिल गया कि आप जानवरों को उस दिन की याद में ज़बिह करने लगे, और यदि याद ही मनाना मक़सूद है तो अपने बेटों को ज़बिह करिए की इब्राहीम अ.स. ने ऐसा किया था। मगर यहां भी चालाकी से अपने खाने पीने का इंतिज़ाम मज़हब की आड़ में कर लिया।

2.2 ट्रिलियन के सबसे बड़े कर्जदार पूंजीपति हैं अडानी, अगर वो देश छोड़कर भाग गए तो क्या होगा ?

दिनकर कुमार

अडानी ग्रुप देश में तेजी से कारोबार फैलाने वाला बिजनेस समूह है। मौजूदा समय में ग्रुप के अंतर्गत अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस और अडानी पोर्ट है। अंबानी ग्रुप की सभी कंपनियों पर 2.18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 के अंत यानी मार्च 2022 तक गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों का कर्ज पिछले साल की तुलना में 42 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुका है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों पर कुल मिलाकर करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन इस वर्ष अडानी के कर्ज में एक बार फिर एक बड़ा उछाल देखा गया है।

हेनान में बैंक फ्रॉड के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रॉड गैंग के कई सदस्य गिरफ्तार, सवालों के घेरे में जिनपिंग सरकार मोदी सरकार ने अडानी का किया 4.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ, जबकि 2016 से हर दूसरे साल अडानी की संपत्ति हो रही दोगुनी खास बात यह है कि 2.2 ट्रिलियन का कर्ज जहां मात्र अडानी की कंपनी के पास है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह है कि भारत का कुल रिजर्व ही 4.7 ट्रिलियन रुपये का है। इसका सीधा मतलब यह हुआ है कि भारत के रिजर्व का लगभग आधा पैसा देश की एक कंपनी के हाथों में गया है। ऐसे में अगर अडानी भारत छोड़कर भाग गये तो देश सड़क पर आ जायेगा, जिसे संभालना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जायेगा। यानी श्रीलंका से भी बदतर हालात हो जायेंगे हमारे देश के। वित्त वर्ष 2021-22 में अडानी समूह की संयुक्त उधारी 40.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.21 लाख करोड़ रुपये हो गई। पिछले वित्त वर्ष में यह 1.57 लाख करोड़ रुपये था। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के आंकड़ों के मुताबिक, समूह की कंपनियों में कर्ज में सबसे ज्यादा वृद्धि इसकी प्रमुख इकाई अडानी एंटरप्राइजेज में दर्ज की गई, जो साल-दर-साल 155 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 41,024 करोड़ रुपये हो गई।

क्या हैदराबाद का ओरिजिनल नाम कभी भाग्यनगर था? समूह की संस्थाओं में, अडानी पावर और अडानी विल्मर ने अपनी उधारी में कमी देखी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अडाणी पावर की उधारी 48,796 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले के 52,411 करोड़ रुपये की तुलना में 6.9 प्रतिशत कम है। आंकड़ों के अनुसार, अडानी विल्मर ने 2021-22 में अपनी उधारी में 12.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,568 करोड़ रुपये की गिरावट देखी, जो पिछले वित्त वर्ष में 2,950 करोड़ रुपये थी।

भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर है भारी विदेशी कर्ज, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा वित्त वर्ष के दौरान अडानी ग्रीन एनर्जी की उधारी 118.6 प्रतिशत बढ़कर 52,188 करोड़ रुपये हो गई, जबकि 2020-21 में यह 23,874 करोड़ रुपये थी। अडानी पोर्ट्स और एसईजेड का कर्ज एक साल पहले के 34,401 करोड़ रुपये से 32.1 फीसदी बढ़कर 45,453 करोड़ रुपये हो गया। अडानी ट्रांसमिशन में पिछले वर्ष के 26,961 करोड़ रुपये की तुलना में 10.6 प्रतिशत बढ़कर 29,815 करोड़ रुपये हो गया, जबकि अडानी टोटल गैस की उधारी एक साल पहले के 488 करोड़ रुपये से 2021-22 में 103.9 प्रतिशत बढ़कर 995 करोड़ रुपये हो गई।

पापुलेशन ब्लास्ट, आठ अरब होने जा रही है विश्व की जनसंख्या द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के आंकड़ों के अनुसार, समूह के लिए कुल उधारी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2,20,838 करोड़ रुपये थी, जो एक साल पहले 1,57,137 करोड़ रुपये के मुकाबले 40.5 प्रतिशत की छलांग थी। मार्च के अंत में समूह का सकल ऋण-से-इक्विटी अनुपात 2.36 के चार साल के उच्च स्तर पर था, जो एक साल पहले 2.02 से अधिक और वित्त वर्ष 2019 के अंत में 1.98 के निचले स्तर पर था। ADANI के बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स की यह कोई पहली खेप नहीं, बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग का बड़ा अड्डा है मुंद्रा पोर्ट, जानिए कब क्या आया! गौतम अडानी पिछले कुछ महीनों में विविधीकरण की होड़ में रहे हैं। उन्होंने हाल ही में होल्सिम से एसीसी और अंबुजा सीमेंट को 10.5 अरब डॉलर (करीब 80,800 करोड़ रुपये) में खरीदा है। वह एएमजी मीडिया नेटवर्क्स के साथ मीडिया व्यवसाय में भी प्रवेश कर रहे हैं।

न्यायालयों के फैसले भी पूर्वाग्रह-युक्त और पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं? यह सौदा अरबपति अदानी समूह को घरेलू सीमेंट क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगा और कंपनी के मौजूदा सीमेंट कारोबार - अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड और अडानी सीमेंट लिमिटेड को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ब्लूमबर्ग के बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, पहली पीढ़ी के उद्यमी गौतम अडानी, जिनकी कुल संपत्ति वर्तमान में 102 बिलियन डॉलर है, ने डेटा सेंटर, डिजिटल सेवाओं, सीमेंट और मीडिया जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से विविधता लाई है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे विवादास्पद कोयला खनन परियोजनाओं में से एक का अधिग्रहण करने के बाद, अडानी दीर्घकालिक ऊर्जा की दिशा में एक

महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी को भुला कर कांवड़ यात्रा में जुटी जनता

फरीदाबाद (म.मो.) यातायात के तमाम नियमों को धता बताते हुए लाखों की संख्या में कांवड़ ढोने के लिये जनता सड़कों पर उमड़ी जा रही है। भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार कोई कोर-कसर न छोड़ते हुए हर तरह की सुविधा उन्हें प्रदान कर रही है। उनके लिये विशेष रेलगाड़ियां व बसें चलाई जा रही हैं। पाठक भूले नहीं होंगे कि दो साल पूर्व कोरोना काल में इसी देश की जनता को छोटे-छोटे बच्चों के साथ सैंकड़ों-हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। उस वक्त स्पेशल तो क्या नॉरमल गाड़ियां तक भी नहीं चलने दी गई थी। इस अभियान में सैंकड़ों गरीब आपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे।

पैदल भक्तों के अलावा कांवड़ियों के अनेकों गिरोह अपनी-अपनी क्षमता अनुसार छोटे-बड़े ट्रकों द्वारा इस यात्रा को सम्पन्न करते हैं। इन ट्रकों पर अति उच्च ध्वनि के वाद्य यंत्र (डीजे) आदि बजाते हुए पूरी सड़क को घेर कर ये लोग चलते हैं। गौरतलब है कि बीसियों लोग ट्रक में सवार रहते हैं और इतने ही लोग ट्रक के आगे-आगे चलते हैं। जाहिर है कि ऐसे में ट्रक भी धीमी गति से चलते हुए अच्छा-

खासा वायु प्रदूषण करते हैं। वाद्य यंत्रों की आवाज इतनी बुलंद होती है कि आस-पास के घरों की खिड़कियों के शीशे खरखराने लगते हैं और कई बार तो टूट भी जाते हैं। इन भक्तों पर न ध्वनि प्रदूषण कानून, न वायु प्रदूषण और न ही कोई यातायात का कानून लागू होता है।

सावन का महीना शुरू होते ही शिव के जलाविषेक करने हेतु गंगा से जल लाने की प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन उस वक्त इसकी आड़ में वह हुड़दंगबाज़ी नहीं होती थी जो आज हो रही है। उस समय श्रद्धालु बड़े प्रेम-भाव से शान्तिपूर्वक गंगा तट की ओर जाते थे और ऐसे ही जल भरी कांवड़ लेकर आते थे, रास्ते में कहीं कोई झगड़ा-फसाद नहीं होता था। लेकिन इसके विपरित आज तमाम सड़कों पर भारी पुलिस प्रबन्ध के बावजूद झगड़े-फसाद की खबरें सुनने को मिल जाती है। बेशक कांवड़ यात्रा की ड्यूटी में जुटी पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, फ़िर भी वे इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि इस दौरान आपराधिक वारदातों की संख्या बहुत घट जाती है।

कांवड़ियों के रास्ते जगह-जगह विश्राम शिविर बनाये जाते हैं जहां पर खाने-पीने तथा विश्राम की उचित व्यवस्था विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री अजय सिंह विष्ट के उत्तर प्रदेश में तो इनके ऊपर हेलिकॉप्टरों द्वारा फूल वर्षा कर इनको प्रात्साहित किया जाता है। सरकार इतना सब कुछ करे भी क्यों न, क्योंकि धर्म की यही तो वह अफ़ीम है जिसकी पीनक में इन भक्तों को महंगाई, बेरोजगारी तथा भुखमरी आदि कुछ नहीं दिखता, दिखता है तो केवल धर्म एवं भगवान।

भक्तों के विश्वास को इतना दृढ़ बना दिया जाता है कि वे अपने तमाम दुखों का निवारण उसी में खोजते हैं और खोजते, खोजते पीढ़ी दर पीढ़ी खोजते ही रह जाते हैं। इस पीनक में वे कभी भी अपने शोषण करने वाले असली शोषकों को पहचानने का प्रयास तक नहीं कर पाते।

मनोहर लाल लाडले के बचाव में उतरे कृष्णपाल; कहा, 'कोई बता दे कि अदलखा ने किसी से दो रुपये भी मांगे हों तो'

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 11 जुलाई को बड़खल स्थित ग्रे फाल्कन में आयोजित प्रेसवार्ता में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने, भ्रष्टाचार में आरोपित तथा गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहे धनेश अदलखा को ईमानदार एवं पाक-साफ़ होने का प्रमाणपत्र देते हुए कहा कि वे उन्हें बीते 15-20 साल से जानते हैं। इस दौरान वे दो बार खुद व एक बार उनकी माताजी पार्षद रही हैं। आज तक किसी ने भी उनके खिलाफ़ किसी काम के बदले दो रुपये लेने तक कि शिकायत उन्हें नहीं की।

उनका यह जवाब दैनिक जागरण के स्थानीय ब्यूरो चीफ़ सुशील भाटिया के उस सवाल पर था जिसमें उन्होंने पूछा था कि अदलखा के विरुद्ध दर्ज हुई एफ़आईआर पर उनका क्या कहना है? कृष्णपाल ने उक्त जवाब के अतिरिक्त एफआईआर की व्याख्या करते हुए कहा कि एफआईआर तो केवल, पुलिस को दी गई प्रथम सूचना मात्र होती है। इसे कोई भी किसी के खिलाफ़ दर्ज करा सकता है। इसके दर्ज होने से कोई दोषी नहीं बन जाता। अपनी बात को और अस्पष्ट करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ और तुम मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हो।

दोषी-निर्दोषी तो तफ्तीश के बाद ही पता चलता है। इसके लिये विजिलेंस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें पूरी पावर है कि वे तथ्यों की छान-बीन के आधार पर किसी के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय करें।

एफ़आईआर को लेकर कृष्णपाल द्वारा

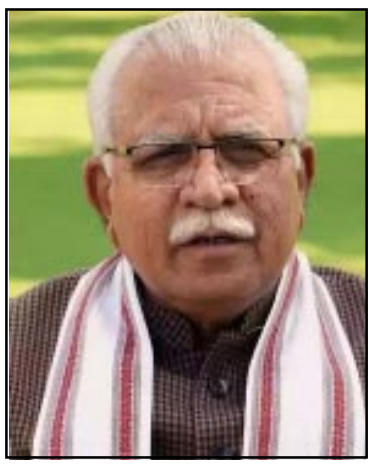

कही गई बात अर्ध सत्य है। वे तो जिसके खिलाफ़ चाहें झूठी एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं जबकि उनके विरुद्ध तो कोई सच्ची एफआईआर भी आसानी से दर्ज नहीं करा सकता। वैसे भी किसी आम आदमी द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराना आसान नहीं है। चोरी एवं छीना-झपटी की वारदात को कोई भी पुलिस वाला आसानी से दर्ज नहीं करता। इस तरह की वारदात को गुमशुदगी में दर्ज करने का प्रयास किया जाता है।

प्रभावशाली लोगों द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कराकर किसी भी अच्छे भले आदमी का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा कराया जाना आम बात है। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर सामने हैं। खुद इस अखबार के सम्पादक सतीश कुमार के विरुद्ध 14 अगस्त 2019 को एक झूठी एफआईआर दर्ज करा कर उनका उत्पीड़न करने का प्रयास इन्हीं मंत्रीजी की पुलिस ने किया था जिसे हाईकोर्ट ने विफ़ल कर दिया था।

रही बात अदलखा द्वारा किसी से भी दो रुपये न लेने की तो सर्वविदित है कि उस जैसे सत्ता के लाडले दो-दो रुपये लेने वाले काम नहीं किया करते, ऐसे लोग मोटे-मोटे माल मारते हैं। नगर निगम के फाइनेंस कमेटी में कहने को तो मेयर चेयरमेन होती है परन्तु वास्तविक चेयरमेन अदलखा ही होते थे। अपनी इस सख्ती का जम कर दुरुपयोग करते हुए निगम को इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। नगर के अनेकों पार्कों की देख-रेख का ठेका इन्होंने अपने साले को दिला रखा है जो इसकी आड़ में जमकर लूट कमाई कर रहा है।

फार्मेसी की लूट-कमाई का भांडा तो चौड़े में फूट ही चुका है। जिन्होंने मोटी रिश्वतें इन्हें दी हैं वे तो सामने आ ही चुके हैं, इसके अलावा वे अनेकों लोग भी सामने आने लगे हैं जो इनको रिश्वत न दे सकने की वजह से फार्मेसिस्ट का लाइसेंस प्राप्त न कर सके और नौकरी हाथ से निकल गई।

समझने वाली बात यह है कि आखिर यह सरकार ने लाइसेंस की दुकानदारी खोल ही क्यों रखी है? जिस संस्थान से कोई भी फार्मेसिस्ट का कोर्स पास कर लेता है तो वहां का दिया हुआ प्रमाणपत्र ही पर्याप्त क्यों नहीं समझा जाता? अगर सरकार को जांच ही करनी है तो ऐसे कोर्स कराने वाले संस्थानों की जांच क्यों नहीं कराते? इतना ही नहीं हर पांच साल के बाद लाइसेंस के रिन्यूअल का मतलब केवल और केवल लूट कमाई ही नहीं तो और क्या है?

अजरोंदा मोड़ को जलभराव मुक्त करने के नाम पर 4 करोड़ डकारेंगे

फ़रीदाबाद (म.मो.) नीलम आरओबी से हाईवे की तरफ़ उतरते समय बरसात के दिनों में जाम लगना आम बात है। जहां आरओबी की सड़क हाईवे से मिलती है वहां जरा सी बारिश होने पर एक से डेढ़ फुट पानी खड़ा हो जाता है। इसके चलते बड़े वाहन तो जैसे-तैसे निकल जाते हैं लेकिन छोटे वाहन या तो इसमें फंस जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे में सारा आरओबी इस कदर जाम हो जाता है कि नीलम चौक तक वाहनों की लाइने लग जाती है। इससे न केवल आरओबी का यातायात प्रभावित होता है बल्कि नीलम चौक के आस-पास पर यातायात भी ठप्प हो जाता है।

इससे निपटने के लिये फ़रीदाबाद महानगर डेवलप्मेंट ऑथोरिटी ने चार करोड़ का बजट बनाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस भारी-भरकम रकम से 140 मीटर लम्बी कंक्रीट की सड़क बनाई जायेगी। विदित है कि हाईवे का निर्माण एवं रख-रखाव पूरी तरह से राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। इस पर जलभराव से निपटने के लिये प्राधिकरण जगह-जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहा है। बेशक उन्हें यह समझ देर से आई लेकिन आई तो सही।

ऐसे में समझ से परे की बात है कि एफएमडीए चार करोड़ की सड़क आखिर बनायेगी कहां? यदि हाईवे के ऊपर जबरदस्ती बना भी देगी तो जलभराव का पानी जायेगा कहां? विदित है कि किसी जमाने में इस स्थान पर कोई जल भराव नहीं होता था। पानी सदैव अपना रास्ता खुद बना कर निकलता रहा है। जब अवैध एवं अनियोजित निर्माण उस क्षेत्र में कर दिये गये तो जल भराव शुरू हो गया। एफएमडीए ने चार करोड़ डकारने की योजना तो सोच ली है लेकिन यह नहीं बताते कि पानी जायेगा कहां?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।